

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, वीकानेर

कार्यालय-आदेश

निम्नांकित कार्यिक को नियोजित यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है।
जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

कार्यिक का विवरण:-

क्र. सं.	नाम कार्यिक का नाम	प्रवर्षभाग स्थान	जान्मतिथि	विदेश यात्रा पर जाने का स्थान व अवधि
1	श्री अधिकारी व्यास, अध्यापक लेखल-2 (अपेजी)	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाणियाबास, जिला पाली	19.04.1977	दिनांक: 18.07.2022 से 27.07.2022 (कुल 10 दिन)

शर्तः :-

- कार्यिक स्थान अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्यिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात अपने कार्यस्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात यदि कार्यिक अपने कार्यस्थान पर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विलम्ब आर.एस.आर 1051 के नियम 86 के प्रावधानान्वर्तत कार्यवाही अगले में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में दृष्टि नहीं की जावेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सक्रम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्ण निम्नांकित की पूर्ण अनिवार्य रूप से कर लेंगे :-

 - कार्यिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - कार्यिक द्वारा अपना कार्यवाही एवं महसूपूर्ण दस्तावेजों का डस्टांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - कार्यिक के विलम्ब तत्समय कोई विभागीय जाय/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा शिक्षाराजीन नहीं है।
 - कार्यिक के विलम्ब तत्समय कोई न्यायिक प्रकारण लम्बित/विधायीन नहीं है।

- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मात्र है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्ण सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहराने का पूर्ण प्रता मय घोबाइल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्यिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अनिलेख/सूचना की गोपनीयता बंग नहीं की जावेगी।

सत्यमव जयते


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
वीकानेर

क्रमांक: शिविर-मा/संस्था/एफ-3/13320/विदेश यात्रा/2022/वोल-1/ 72 दिनांक: 13/07/2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), पाली संभाग, पाली।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, पाली।
3. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्राम, काम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय छाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने वाला।
4. प्रधानाधार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाणियाबास, जिला पाली को भेजकर लेख है कि रिक्षण व्यवस्था बाधित न हो इसकी विद्यालय स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित करे।
5. संबंधित कार्यिक।
6. शक्ति पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

कार्यालय निवेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय—आदेश

निम्नांकित कार्यक्रम को निर्जी विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शास्त्रों के अध्ययन प्रदान की जाती है।
जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

कार्यक्रम का विवरण:-

क्र. सं.	नाम कार्यक्रम मय पद	प्रदर्शन स्थान	तारीख	विदेश यात्रा पर जाने का स्थान व अवधि
1	आजाद बेगम शेख, अध्यापक लेवल-1	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भाणस, तह0 झाकोल, जिला उदयपुर	15.06.1984	BAQDAD (IRAQ) दिनांक: 18.07.2022 से 31.07.2022 (कुल 14 दिन)

शर्तें :-

- कार्यक्रम सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्यक्रम विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्यक्रम अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्यक्रम को कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहा भाना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1981 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागफल रखीकार नहीं किया जावेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से शूरू निम्नांकित ली पृष्ठ अनिवार्य रूप से कर लेंगे :-
 - कार्यक्रम के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्ब/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - कार्यक्रम द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - कार्यक्रम के विरुद्ध तत्त्वमय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विधारणीन नहीं है।
 - कार्यक्रम के विरुद्ध तत्त्वमय कोई न्यायिक प्रकरण लिप्ति/विद्यारणीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रधास में ठहरने का पूर्ण पता यथ भोवाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जाएगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्यक्रम द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

सत्यमेव जयते

संतुष्ट निवेशक (परिचय)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविश—मा/संस्था/एफ-3/13320/विदेश यात्रा/2022/पोल-1/ 74 दिनांक: 13/07/2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संदुक्ता निवेशक (स्कूल शिक्षा), उदयपुर संस्था, उदयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, उदयपुर।
3. जिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्राम, कम्ब्यूटर अनुभाग, कार्यालय भाजा को विभागीय बेकाराई पर अपलोड करने वाला।
4. प्रवासार्थी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भाणस, तह0 झाकोल, जिला उदयपुर को भेजकर लेख है कि रिकान व्यवस्था बाधित न हो इसकी विलायत स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित रहे।
5. संवादित कार्यक्रम।
6. रक्षित पत्रावली।

संतुष्ट निवेशक (परिचय)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर